

OF BIHAR
EXCISE & PROHIBITION DEPT.
JAHANABAD

COURT FEE

Authorization No. 2033



STAMP DUTY
00000

विहार
JUDICIAL

5766 7225670

Rs. 0000100 प्रत्यक्ष-26

374145 (निवाचन क्षेत्र अधिकारी)



36 मार्ग नं. 101, छहरी
1347/12
OF BIHAR

निवाचन क्षेत्र से (निवाचन क्षेत्र का नाम)..... निवाचन क्षेत्र से (निवाचन क्षेत्र का नाम).....
निवाचन क्षेत्र (सदन का नाम) के लिए निवाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यक्ष किया जाने वाला
शपथ-पत्र।

मेरा नाम..... मनुदेव भाग-का
सुन्नि/पुर्णी/पली..... पृष्ठे १
आयु..... ५१ वर्ष, जो..... मनुदेव जन्म तिथि..... २६ जुलाई
परिवर्ती पत्र संख्या - आमा - ३०२९१ डाक का
ग्राम - ग्राम ५२९१ - १

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निवाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ
पर निम्नलिखित कथन कहता हूँ/करती हूँ
(1) मैं..... मनुदेव विजय कुमार (राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा
किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रूप में लड़ रहा है।

(जो लागू न हो उसे काट दे)
(2) मेरा नाम..... 182 नं. होटल विजय लाला ५२७१ (निवाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) मे भाग
सं..... ८५ के क्रम सं..... २२९ पर प्रविष्ट है।
(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं..... ४९३०४९९७०२ है,
मेरा ई-मेल आईडी(यदि कोई हो तो)..... १२७ है
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स(यदि कोई हो)..... १२७ है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक(पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रूपए में)
2	पति श. पली	९८१ -	९८१	९८१
3	आश्रित-१	९८१	९८१	९८१
4	आश्रित-२	९८१	९८१	९८१
5	आश्रित-३	९८१	९८१	९८१

Authorised U/S (1) (e) of the
Notaries (Act) P. III of 1952

NOTARY
Dist. Jehanabad (Bihar)



5). मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारणास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारणास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यारे	७३)
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराए) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	७३)
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्जान लेने के आदेश की तारीख	७३)
(घ)	न्यायालय, जिसके(जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	७३)
(इ)	तारीख(तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	७३)
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	७३)

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/है जिनमें न्यायालय द्वारा सज्जान लिया गया है
(पूर्वांकित

मदद(i) में वर्णित मामलों से भिन्न)-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्जान लेने के आदेश की तारीख	प्रीशानल सेचन अधीक्षण (XII) ५२१।
(ख)	डन मामलों के ब्यारे जहा न्यायालय ने सज्जान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराए) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सज्जान लिया गया है	७/५ ३०४ (B) २०१, ३६ अप्रैल २०८। — ५३१।
	पूर्वांकित आदेश(आदेशों) के विरुद्ध सुनीक्षण के लिए फाइल की गई स्पष्टीकरण(अपीलों)/आवेदन(आवेदनों)(यदि कर हो) के ब्यारे	७३)



- (6). मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है-

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वास कारावास का दंडादेश दिया गया है-

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्धोष ठहराया गया है	७३
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	७४
(ग)	अधिरोपित दंड	७५
(घ)	क्या सिद्धोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	७६

- (7). मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आरितयों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपर्युक्त करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

* टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन घोषित करने वाले विनिधान के संबंध में प्रथकतया दिये जाने हैं।



क्रम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में प्रथकतया दिये जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50,000/-	७६)	७६)	७६)	७६)
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	८२)	७६)	७६)	७६)	७६)
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	८६)	७२)	७६)	७६)	९६)
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	८६)	७६)	७६)	७६)	९६)
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम।	८६)	७६)	९३)	९६)	९६)
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत(मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	८३)	७६)	७६)	७६)	७६)
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं)(भार और मूल्य के ब्यौरे)	रोपरूप 60,000/-	८२)	७६)	८२)	७६)
(viii)	काई अन्य आस्तियां जैसे कि दातानों/हित का मूल्य	८६)	७६)	७६)	७६)	७६)
(ix)	समग्र कुल मूल्य	110000/-	८२)	७६)	७६)	७६)



आस्तियों के व्यौरे

विषय 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	✓	✓	✓	✓	✓
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	✓	✓	✓	✓	✓
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	कुम्भ 12 लाख 21 लाख	12,00,000/-	✓	✓	✓
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	✓	परिदृष्टि	✓	✓	✓
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	✓	✓	✓	✓	✓
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	✓	✓	✓	✓	✓
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	✓	✓	✓	✓	✓
	गैर कृषि भूमि - अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	✓	✓	✓	✓	✓
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	✓	✓	✓	✓	✓
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	✓	✓	✓	✓	✓
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	✓	✓	✓	✓	✓
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	✓	✓	✓	✓	✓



	विनियोग आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१६)	१८)	१९)	२०)	२१)
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१८)	१९)	१९)	१९)	१९)
	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	१३)	१४)	१५)	१५)	१६)
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	१८)	१९)	१९)	१९)	१९)
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	१६)	१८)	१९)	१९)	१९)
(iii)	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१८)	१८)	१८)	१८)	१९)
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	१८)	१८)	१८)	१८)	१९)
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१६)	१८)	१९)	१९)	१९)
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१८)	१९)	१९)	१९)	१९)
	आवासीय भवन(अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	१९)	१९)	१९)	१९)	१९)
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	१९)	१९)	१९)	१९)	१९)
	निर्धारित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	१८)	१८)	१८)	१८)	१९)
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	१३)	१४)	१५)	१५)	१६)
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	१८)	१८)	१८)	१८)	१९)



	अन्य भूमि की वित्त(क्रय की दशा में) विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	१६)	१७)	१८)	१९)	२०)
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	१४)	१५)	१६)	१७)	१८)
(v)	अन्य(जैसे कि संपत्ति में हित)	१६)	१७)	१८)	१९)	२०)
(vi)	पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	१६)	१७)	१८)	१९)	२०)

- (8). मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के व्यौरे नीचे देता हूँ-
- (टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के व्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)					१६)
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	१६)	१७)	१८)	१९)	२०)
	कोई अन्य दायित्व	१६)	१७)	१८)	१९)	२०)
	दायित्वों का कुल योग	१६)	१७)	१८)	१९)	२०)
	सरकारी शोध्य - सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	१६)	१७)	१८)	१९)	२०)
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	१६)	१७)	१८)	१९)	२०)
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	१६)	१७)	१८)	१९)	२०)



मावाल आपूर्ति से बचने वाले विभाग को शोध्य	वाई	नई	एडी	एडी	एडी
स्कारी परिवहन(वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	एडी	एडी	एडी	एडी	एडी
आय-कर शोध्य	एडी	एडी	एडी	एडी	एडी
धनकर शोध्य	एडी	एडी	एडी	एडी	एडी
सेवाकर शोध्य	एडी	एडी	एडी	एडी	एडी
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	वाई	एडी	एडी	एडी	एडी
विक्रयकर शोध्य	वाई	एडी	एडी	एडी	एडी
कोई अन्य शोध्य	एडी	एडी	एडी	एडी	एडी
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	वाई	एडी	एडी	एडी	एडी
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वालित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	एडी	एडी	एडी	एडी	एडी

(9). वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं २५/११/२०१८

(ख) पति या पत्नी २५/११/

(10). मेरी शैक्षिक अहर्ता नीचे दिये अनुसार हैं-

राजा



(प्रमाणपत्र/हिस्तोरा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे द्वारा हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा हैं)

भाग-ख

क के (1) से (10) तक दिये गये व्यौरे का उद्धरण

अध्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमार मुजुडेनी		
2 डाक का पता	पो-स्ट ऑफिस भागो - इंदौर जि.ला ४२७०१		
3 निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	182 नोडोडुर निवासगांव		
4 उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अध्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्क्रंप्ट लिखें)	डॉलिहारी निवासगांव		
5 (i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	१३ } -		
5 (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है(उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	१८ } ,		
6 ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएं)	१८ } ,		
(क) अध्यर्थी	३.१२०८ का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
7 (ख) पति या पत्नी	१८१	१८१	१८१
(ग) अन्तिम नोटिस नं.	७३४७/१२	७३४७/१२	७३४७/१२



प्राप्त दायित्वों के ब्यौरे(रूपये में)

विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
क	जंगम मूल्य)	आस्तियां(कुल मूल्य)	७५)	७५)	७६)	०८)	७६)
	स्थावर आस्तियां		७५)	७५)	७५)	७५)	७५)
	I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	७५)	७५)	७५)	०८)	१५)
ख	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत(यदि लागू हो)	७६)	७६)	७६)	०८)	०८)
	III	निमलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	८८)	८८)	८८)	८८)	८८)
		(क) स्वर्जित आस्तियां(कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां(कुल मूल्य)	७६)	७६)	७६)	०८)	०८)
		दायित्व	८८)	८८)	८८)	८८)	८८)
9	(i)	सरकारी शोध्य(कुल)	७६)	७६)	७६)	७६)	७६)
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण(कुल)	८८)	८८)	८८)	८८)	८८)
	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है						
10	(i)	सरकारी शोध्य(कुल)	८८)	८८)	८८)	८८)	८८)
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण(कुल)	८८)	८८)	८८)	८८)	८८)
	प्रमाणपत्र/डिपोजिट/हिंग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते कर्ता द्वारा दायित्व का अर्हता -						



(प्रमाणपत्र/डिपोजिट/हिंग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते

सत्यापन

ललित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता है कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी मूल जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भा तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

- (क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लोबित मामले से भिन्न कोइ दोषसिद्धि का मामला या लोबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख.....को सत्यापित किया गया।

*ललित
जून २०१५
मृत्यु
मृत्यु*
अभिसाक्षी

टिप्पण - 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थित शून्य या लागू नहीं होता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अध्यर्थीयों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अध्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अध्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अध्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।



टिप्पण - 6. शपथपत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूषण संपर्क संख्या/संख्याएं हैं/हैं: M- 9304998202 (9304998202)

मेरा इ-सेल आईडी(अगर कोई हो) है: ७६१

७६१

८०२५३१८

Authorised U/S (1) (e) of the
Notary Act, R. III of 1952

NOTARY
Dist. Jehanabad (Bihar)